

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल-462004

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 30/12/2021

क्रमांक एफ ए 3-22/2021/1/पाँच (93) : यतः, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का क्रमांक 74), मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 (क्रमांक 2 सन् 2018), मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, 2018 (क्रमांक 1 सन् 2018) के अधीन कर भुगतान के दायित्वाधीन संबंधित प्रकरणों में व्यापारियों के कर निर्धारण व पुनः करनिर्धारण की ऐसी समस्त कार्यवाहियाँ, जिन्हें मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (7) के उपबंधों के अधीन कैलेण्डर वर्ष 2021 की समाप्ति तक पूर्ण किया जाना है, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किये गये समस्त संभव प्रयासों के बावजूद विहित कालावधि के भीतर पूर्ण नहीं की जा सकती हैं और ऐसी कार्यवाहियों को गुण-दोष के आधार पर पूर्ण करने हेतु कर निर्धारण प्राधिकारियों को समर्थ बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि ऐसी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिए विहित समय-सीमा दिनांक 30 अप्रैल, 2022 तक बढ़ाई जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा प्रत्येक व्यापारी के संबंध में उक्त अधिनियमों के अधीन संबंधित लंबित प्रकरणों में कर निर्धारण व पुनः कर निर्धारण की प्रत्येक ऐसी कार्यवाहियाँ जो 31 दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण नहीं होती हैं, को पूर्ण करने की कालावधि को दिनांक 30 अप्रैल, 2022 तक बढ़ाई जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(दीपाली रस्तोगी)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग